International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 02, February 2019
Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका: एक विश्लेषण

डॉ0 अश्वनी कुमार

बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी

विश्व में किसी भी देश और समाज की स्थिति का आंकलन वहां की स्त्रियों की स्थिति से किया जा सकता है। यदि किसी देश में महिलाएँ सुसंस्कृत हैं, सभ्य हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील हैं तो यह जानने की आवश्यकता नहीं कि उस देश में विकास का स्तर क्या है? महिलाओं को विकास की मूलधारा में सम्मिलित करके, उन्हें सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाने की मांग कई दशकों से निरंतर हो रही है। महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक विषय है जो कि सामाजिक न्याय, समानता एवं समेकित सामाजिक विकास के दर्शन पर आधारित है। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्तर पर आत्मनिर्भर कर सशक्त करने में है। सशक्तिकरण से आशय केवल शक्ति का अधिग्रहण नहीं है वरन् यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं में इतनी जागरूकता उत्पन्न की जा सके कि वे स्वावलम्बी बनकर सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें।

भारत में हर युग एवं काल में महिलाओं की स्थिति एवं दशा परिवर्तित होती रही। वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञान होता है कि नारी को समाज और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों में बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा नहीं थी। स्त्रियाँ न केवल शिक्षा की दृष्टि से वरन् कला कौशल एवं युद्ध–विद्या की दृष्टि से भी पुरूषों के समकक्ष थीं। नारी पुरूष में विशेष भेद नहीं था। दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी। विवाह का उद्देश्य सिर्फ काम–वासना की पूर्ति नहीं, उससे भी ऊपर पत्नी के साथ मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन, धर्मानुष्ठान, यज्ञ सम्पादन व श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति था। अथर्ववेद में कहा गया है, ''नरवधू तू जिस घर में जा रही है, वहाँ की तू साम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित है।'' ऋग्वेद की रचना

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

में योगदान करने वाली बीस विदुषियाँ थी जिनमें– रोमषा, अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि प्रसिद्ध थी। अश्वमेद्य यज्ञ एवं राजसूर्य यज्ञ में महिर्षी की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक थी। उसके बिना यज्ञ विधिवत् सम्पन्न नहीं हो सकते थे। यजुर्वेद के अनुसार नारी को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। वेदकालीन समाज पितृसत्तात्मक होने से उसमें पुत्र को पुत्री से वरीयता दी गई है तथा पुत्र–कामना का वर्णन यत्र–तत्र मिलता है। परन्तु पुत्र कामना रखने पर भी पुत्री का तिरस्कार नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था एवं आजीवन कुंवारी रहने की इच्छा पर पुत्री को पिता के सम्पत्ति में उत्तराधिकार दिया गया था। विवाहित स्त्रियाँ अपने 'स्त्री धन' को इच्छानुसार खर्च कर सकती थी।

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में भी स्त्रियाँ सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से ग्रस्त थी। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा–प्रथा, पुरूषों पर निर्भरता, विधवा–विवाह निषेध इत्यादि अनेक कारण नारी की हीन दशा के लिए उत्तरदायी थे। भारत में महिलाओं की दशा को सुधारने एवं महिला सशक्तिकरण की शुरूआत 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आन्दोलन के साथ मानी जाती है, जिसके अग्रदूत राजा राममोहन राय थे उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ही 1829 में 'सती प्रथा' के विरूद्ध कानून पारित हुआ। तत्पश्चात् ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से जुलाई 1856 में ''हिन्दू विधवा पुनर्विवाह'' को कानूनी अनुमति प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप प्रथम विधवा विवाह कालिन्दी देवी का पंडित रामचन्द्र विद्यारतन से हुआ। 1872 में केशवचन्द्र सेन के प्रयत्नों से नेटिव मैरेज एक्ट पास हुआ जिसमें बहुविवाह को दण्डनीय अपराध माना गया और बाल विवाह निषेध ठहराया गया तथा अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई। स्वामी दयानन्द सरस्वती एवं स्वामी विवेकानन्द इत्यादि अनेक समाज सुधारकों ने भी नारी की अधीन स्थिति में सुधार तथा नारी अधिकारों के क्रियान्वयन एवं प्राप्ति हेतु उल्लेखनीय प्रयास किए। 1875 तक कलकत्ता, मद्रास एवं मुम्बई विश्वविद्यालयों में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पंडिता रामबाई द्वारा हंटर कमीशन के सम्मुख स्त्री शिक्षा की मांग रखी गयी। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप ही कादम्बिनी बसु को प्रथम महिला स्नातक होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1888 में आनन्दी बाई प्रथम महिला थी जो विद्या अर्जन के लिए विदेश गयी। स्वर्णकुमारी ने प्रथम महिला सम्पादक के रूप में **''भारत पत्रिका''** का सम्पादन किया व महिलाओं के लिए **'सखी समिति'** की स्थापना की। इन्हीं सब प्रयासों में महिलाओं में घरेलू दायरों से बाहर अपने अधिकारों के प्रति एक सक्रिय जागृति को जन्म दिया। जिस कारण इस समय को **''महिला युग''** कहा गया क्योंकि न केवल भारत वरन् सम्पूर्ण विश्व में नारी–अधिकारों के प्रति एक नवीन चेतना व जागृति उत्पन्न हो रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कुछ प्रयासों का जिक्र यहाँ पर किया जाना आवश्यक है – 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लुक्रीशिया ने समान अधिकार संगठन की स्थापना करके नीग्रो महिलाओं के समान अधिकारों की मांग की। अमेरिका में ही 8 मार्च 1857 को न्यूयार्क के सिलाई और वस्त्र उद्योग में कार्यरत महिलाओं ने पुरूषों के समान वेतन एवं 10 घंटे के कार्य दिवस के निर्धारण हेतु हड़ताल की थी जिस कारण इस दिवस को विश्व भर में ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। 1859 में सेंट पीटर्सवर्ग (सोवियत संघ) में

महिला मुक्ति आंदोलन का सूत्रपाल हुआ था। 1859 में अमेरिका में राष्ट्रीय महिला मताधिकार संगठन तथा 1882 में फ्रान्स में महिला अधिकार संगठन की स्थापना की गई। महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में 1893, नार्वे में 1913, फ्रांस में 1936, इटली में 1945 को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 1951 में ''अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन'' ने महिलाओं को पुरूषों के समान वेतन दिलाने हेतु समान श्रम के लिए समान वेतन सम्बन्धी प्रस्ताव तथा 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। 1975 में कोपेनहेगन में महिला, 1985 में नैरोबी में दूसरा तथा 1995 में शंघाई में तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इन सबसे विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बल दिया।

भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के दौरान कहा था, ''स्त्रियों के लिए बिना संगठन की गतिविधियों की सफलता संदिग्ध होगी तथा प्रयत्न निष्फल रहेंगे।'' 1887 में कांग्रेस के अन्तर्गत ''नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस'' की स्थापना की गयी, जिसमें महिला समस्याओं की स्थापना की गयी, जिसमें महिला समस्याओं को प्रमुखता दी गयी। 1890 में पंडिता रमाबाई एवं स्वर्ण कुमारी देवी के प्रयत्नों से लगभग 100 महिलाओं ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय एवं समन्वित प्रयास स्वतंत्रता के उपरांत ही किए गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का कहना था ''लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है।''

मनुष्य की मानसिक शक्ति के विकास हेतु शिक्षा एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्त्री हो या पुरूष किसी को भी शिक्षा से वंचित रखना उसकी मानसिक क्षमता विकसित होने से रोक देना है। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई है। यदि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का सूक्ष्म अवलोकन करें तो हमें ये विदित होगा कि महिलाओं को लगभग प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव, पूर्वाग्रह एवं असमानता का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी वे अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ अभी भी या तो अशिक्षित हैं या बहुत कम शिक्षित और यहाँ स्त्रियों में उच्च शिक्षा की दशा तो बहुत ही दयनीय है।

भारत महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु कृतसंकल्प है। इसके लिए अनेक प्रयास भी किये जा रहे हैं। यह अलग बात है कि समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहा है।1970 के दशक तक राज्य की नीतियाँ महिला कल्याण पर जोर देती रहीं। 1980 के दशक में महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाता रहा तथा 1990 के दशक में 'सशक्तिकरण' पर जोर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय समाज अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है इसका कारण महिला शिक्षा और उनकी उच्च शिक्षा का लक्ष्य के अनुरूप विकास न कर पाना रहा है। किसी भी सशक्त समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उस सामाजिक व्यवस्था को समाज के

सभी सदस्यों का सकारात्मक योगदान हो। भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था का केन्द्रीय उद्देश्य यह रहा है कि समाज के सदस्यों के व्यक्तित्व का बेहतर सामाजिक–सांस्कृतिक विकास हो एवं उत्तरदायी नागरिक का निर्माण हो। इसके पीछे व्यवस्था में समान सहभागिता का सिद्धांन्त कार्य करता है। अगर हम महिलाओं से उनके अनुपात के परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए योगदान की अपेक्षा रखते है तो यह तब तक सम्भव नहीं हो पायेगा जब तक कि हम व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें उनका वास्तविक हक न दे पायें। उन्हें उनका वास्तविक हक प्रदान करना इसलिए भी आवश्यक है कि विश्व का कोई भी समाज अपनी लगभग आधी आबादी को उपेक्षित करके विकास रूपी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है।

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को आज वैश्विक स्तर पर समग्र विकास हेतु आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। वर्तमान मे शताब्दी विकास लक्ष्यों के आठ बिन्दुओं में लैंगिक समानता को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल कर इस विषय को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकारोक्ति प्रदान की है। इसके बाद इस विषय पर एक के बाद एक कई सम्मेलन हुए जिसमें लक्ष्य एवं कार्यक्रम निर्धारित कर इसे मानव अधिकार के रूप में पहचान दिलाए जाने का प्रयास किया गया। यह प्रयास अनेक अवधारणाओं से होकर गुजरते हुए आज 'महिला सशक्तिकरण' की अवधारणा तक पहुंचा है।

उच्च शिक्षा के माध्यम से महिला जो ज्ञान, जीवन–मूल्य और दृष्टिकोण हासिल करती है उससे वह जीवन में मनचाही गुणवत्ता ला सकती हैं। घर से बाहर के दायित्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह और अपने बच्चों का पथ–प्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से कर सकती है। साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ परिवार और समाज के नीति–निर्माण की प्रक्रिया में सशक्त दोतरफा रूप से समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। क्योंकि नीति–निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका अदा करने के साथ–साथ वह उन चीजों को भी बदलने में सक्षम हो सकेगी, जो अब तक उनके लिए नकारात्मक हुआ करती थी और उन पर थोप दी जाती थी। यही कारण है कि आज विभिन्न महिला संगठन संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को काफी जोर शोर से उठा रही हैं, ताकि वह देश के इस सर्वोच्च नीति–निर्माण की संस्था में सहभागी हो सके।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सॉतवें अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि 'वर्तमान सामाजिक ढाँचे में महिलाओं पर भारी बोझ है, वे घर चलाती हैं और नई पीढ़ी तैयार करना उनकी खास जिम्मेदारी है, इसके साथ ही वे प्रायः अन्य कामों में भी हाथ बटाँती हैं। अशिक्षित महिला बेबस–सी अपने माता–पिता, पति और बच्चों पर निर्भर हो जाती है वह स्वयं अपने जीवन को एक बोझ समझने लगती है। उच्च शिक्षा महिलाओं में स्वाभिमान की भावना जगाती है और उनके कार्य क्षेत्र की सीमा का विस्तार करती है। उच्च शिक्षित महिला काम कर सकती है,तथा व्यवसाय में उल्लेखनीय स्थान बना सकती है एवं अपनी प्रतिभा द्वारा परिवार व समाज का नाम रौशन कर सकती है। यदि वह घर पर रहना चुनती है तो वह अपने बच्चों का प्रभावशाली ढंग से

पथ–प्रदर्शन कर सकती है और अपने परिवार को विभिन्न प्रकार से सहायता करने में सक्षम हो सकती है।

भारत वर्ष एक ऐसी सभ्यता व संस्कृति का साक्षी रहा है जहां वैदिक युग से ही नारियों को पुरूषों के समान अधिकार व सम्मान प्राप्त था। किन्तु बाहरी आक्रान्ताओं के देश में प्रवेश करने के साथ ही नारी की स्थिति उत्तरोत्तर बद से बदत्तर हो गयी आज महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों ने हमारी आर्थिक व सामाजिक समरसता के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है नैतिक मूल्य कहीं खो से गये है इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में हमारे नीति निर्माताओं समाज सुधारक एवं सरकारें नारी सशक्तिकरण के विषय में गंभीरता से विचार करने व नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन हेतु सत्त प्रयासशील है।

जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है तो इसमें क्षेत्रीय भिन्नताओं के बावजूद महाविद्यालय शिक्षा काफी हद तक शहरी, उच्च एवं मध्यम वर्गीय परिवारों तक सीमित है। फिर भी 17–23 वर्षीय आयु–वर्ग में उच्च शिक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बहुत ही कम 3 प्रतिशत है। अभी भी कला संकाय सबसे अधिक आकर्षण का केन्द्र है। 1981 के बाद वाणिज्य, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, विधि, चिकित्सा संकाय में छात्राओं का आकर्षण बढ़ा है। वर्तमान में सूचना विज्ञान एवं कम्पयूटर में सर्वाधिक आकर्षण बढ़ा है। फिर भी फीस की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में प्रवेश अभिजात्य वर्ग की महिलाएँ ही लेने में सक्षक है। प्रो0 श्रीनिवास के अनुसार 'उच्च शिक्षा, विवाह–बाजार में भी शादी की इच्छुक लड़कियों के लिए प्रतीक्षा करने का एक सम्मानजनक स्थान है। शिक्षा प्राप्ति के बाद भी पितृ एवं पुरूष सत्तात्मक समाज में महिलाओं की निर्भरता पुरूषों पर से कम नहीं हुई है तथा एक महिला स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास में यह समाज कुछ हद तक बाधक भी सिद्ध रहा है।

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ गरीबी और अशिक्षा एक भयंकर समस्या है, वहाँ स्त्रियों की उच्च शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियाँ आज भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। हमारे संविधान में स्त्री और पुरूष दोनों को समानता का दर्जा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी वर्ग, लिंग या सम्प्रदाय का हो उसे शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। भारत के शिक्षा को आधुनिकीकरण, महत्वकांक्षी प्रौद्योगिकी, उतपादकता और गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना गया है। वास्तव में शिक्षा को सामाजिक बदलाव की स्वीकृति या अस्वीकृति का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। उच्च शिक्षा समाज में लम्बवत् सामाजिक गतिशीलता लाने में सक्षम है। शिक्षा पाना प्रत्येक व्यक्ति की न सिर्फ न्यूनतम आवश्यकता है, बल्कि अधिकार भी है । यह देश के आर्थिक विकास तथा लोकतांत्रिक ढाँचे के विकास की गति में उर्वरक का काम करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे नीति निर्धारकों की सही जांच और योजनाओं की वजह से शिक्षा और विशेष रूप में स्त्री शिक्षा की तरफ देश को आजादी मिलने से पहले के वर्षों के मुकाबले बहुत ध्यान दिया गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला के उच्च शिक्षा के प्रति

विशेष ध्यान दिया जाये और जिस तरह हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षाा के लिए विशेष अभियान चलाया गया है उसी प्रकार महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने हेतु भी विशेष अभियान चलाने की जरूरत है।

सन्दर्भ सूची :–

1. डॉ. राजकुमार–महिला एवं बाल विकास।
2. समाचार पत्र–दैनिक जागरण एवं अमर उजाला, हिन्दुस्तान।
3. चतुर्वेदी, जगदीश्वर, स्त्री अस्मिता।
4. शर्मा, प्रज्ञा, महिला विकास और सशक्तिकरण, 2007।
5. आशा कौशिक : नारी सशक्तिकरण, विमर्श एवं यथार्थ, बुक इनक्लेव, जयपुर।
6. डॉ. सुरेन्द्र सिंह एवं डॉ. सुषमा मल्होत्रा : समकालीन भारतीय समाज, विद्या संस्थान, वाराणसी।
7. शर्मा, जी.एल. (2015) सामाजिक मुद्दे, राव पब्लिकेशन्स, जयपुर,।
8. विप्लव (2013) , महिला सशक्तिकरण : विविध आयाम, राहुल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ,।